न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 30/2022
जीसीएमएस संख्या 2022/43

वादीयागण

1. मांगी पुत्री भीखाराम पत्नी रूगनाराम जाति सुथार निवासी हाल सेड़िया तहसील सांचौर, सांचौर
2. नेनूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी किशनाराम जाति सुथार निवासी डीगांव करड़ा तहसील रानीवाडा
3. कैलीदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी नेनाराम जाति सुथार निवासी डांगरा तहसील सांचौर
4. पांचूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी निम्बाराम जाति सुथार निवासी कुकावास तहसील बागोडा
5. देवूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी मनसाराम के का.मू. वारीसान
   5/1 चुतराराम पुत्र मनसाराम जाति सुथार निवासी अरणाय तहसील सांचौर
   5/2 नरसीराम पुत्र मनसाराम जाति सुथार निवासी अरणाय तहसील सांचौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हरीराम पुत्र भगाराम जाति सुथार निवासी खासरवी तहसील चितलवाना
2. बाबुलाल पुत्र मनसाराम जाति सुथार निवासी अरणाय तहसील सांचौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर
4. व्यवस्थापक स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीयागण अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री अशोक बेनिवाल व रमेश हेमागुड़ा।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई।

निर्णय

दिनांक – 18.11.2024

1. वादीयागण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 भगाराम का जायन्दा पुत्र है जो वर्तमान में गांव खासरवी में निवास करता है। सभी पक्षकार हिन्दू परिवार के सदस्य होनें से हिन्दू विधि से शासित होते हैं। मौजा नारायणपुरा, पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर में वादीयागण के पुश्तैनी (पैतृक) कृषि भूमि खसरा नंबर 136 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै. मु. आबादी, खसरा नंबर 1 रकबा 7.00 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 7.04 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें हम वादीयागण के पिता भीखाराम की भूमि में हम वादीयागण का बराबर हिस्सा हक हकुक आया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

जिसमे वादीयागण का जन्मसिद्ध हकहकूक हिस्सा व पुश्तैनी शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त का आया हुआ है। उक्त आराजी को आगे वादापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा।

2. उक्त वादग्रस्त आराजी वादीयागण की पुश्तैनी आराजी है। वादीयागण के पिता भीखाराम के निर्वसियती फौत होने पर स्वर्गीय भीखाराम के हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में विहित प्रथम अनुसूची के वारीश वादीयागण है जिससे वदीयागण स्वर्गीय भीखाराम के विधिक वारीश होने से उनके फौत होने पर सम्पूर्ण हक हकुक वादीयागण को निहित हो गया है उसके बावजुद भी प्रतिवादी संख्या 01 हरीराम ने राजस्व विभाग से साठ–गाठ कर वादीयागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अवैध व गैर कानूनी तरीके से हरीराम अकेले का नमान्तरकरण दर्ज कर वादीयागण को अपने हक हकुको की वादग्रस्त भूमि से वंचित कर दिया तत्पश्चात वादीयागण की माता कोजीदेवी के फौत होने पर भी वादीयागण का उनके फौत की नामान्तरकरण में नाम दर्ज नही कर वादीयागण को अपने हक हकुको से वंचित कर दिया तथा अवैध व गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी हरीराम का नाम इन्द्राज कर हमें वंचित कर दिया जिससें हमारी हिस्से, हक, कब्जे की भूमि का हक पाने का प्रतिवादी संख्या 01 अधिकारी नही होने ऐसा इन्द्राज निरस्तनीय योग्य हैं। जिससें दावा खातेदारी घोषणा का पेश हैं।

3. यह है कि वादीयागण के पिता स्व. भीखाराम ने कभी भी हरीराम को गोद नही लिया था तथा न ही स्व. भीखाराम के जीवनकाल में प्रतिवादी हरीराम साथ रहकर सेवा चाकरी की तथा उनके फौत होने पर तमाम सामाजिक क्रिया कलाप भी हरीराम ने नहीं किया तत्पश्चात वादीयागण की माता कोजी ने भी किसी भी प्रकार से हरीराम को गोदपुत्र कानूनी तौर से ग्रहण नही किया था। तथा स्व. भीखाराम फौत होने के बाद कोजी के साथ हरीराम गोदपुत्र की हैसियत से नहीं रहा न ही हरीराम ने कोजी के साथ रहकर कभी भी सेवा–चाकरी, भरण–पोषण नहीं किया तथा स्व. कोजीदेवी की सेवा चाकारी भी वादीयागण ने की तथा विशेषकर वादीया मांगीदेवी ने पास में स्थिति अपने वादग्रस्त खेत में रहकर सेवा–चाकरी, भरण–पोषण किया। वादीयागण को यह कभी अहसास नही कराया की हमारे भाई मौजुद है तथा हम वादीयागण को हरीराम भाई बनकर वार, तैयार, विवाह–वाजन में हमारे सामाजिक रिती रिवाज अनुसार पिहर में नही ले गये तथा आज दिन तक हरीराम व उसकी हम वादीयागण से कभी मुह से बोला तक नही है इस प्रकार हरीराम ने गोदपुत्र की हैसियत से कभी सामाजिक रिती रिवाजो का पालन नही किया। हरीराम व उसकी पत्नी सेड़िया गांव में कभी नही रहे। हरीराम अपने पिता भगाराम की जमीन के 1/5 हिस्से पर काश्त कर गांव खासरवी में ही रहता है। वादीयागण को प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम नें मौके पर आकर ऐलानियां धमकिया दी कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम से दर्ज है उक्त भूमि को मैं आगे बेचान, हस्तांतरण, रहन, तर्क, वसियत आदि करना चाहता हूँ। कब्जा खाली करो अन्यथा मैं शेष रही संपूर्ण भूमि को किसी भी अजनबी, बदमाश व्यक्ति को बेचान, रहन, कर आपको जबरन बेदखल करवा देंगे। जिससे वादीयागण के हकहकूक खतरे में पड़ गये हैं वादीयागण के हक हकू[illegible] में कोई दखल प्रतिवादीगण नही करें, तथा वाग्रस्त भूमि को आगे [illegible]न, रहन, तर्क आदि नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधा[illegible] बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 नें राजस्व ऐजेन्सी से साठ–गाठ कर स्वर्गीय कोजी के फौत होने पर गैरकानूनी तरीके से अपना नाम इन्द्राज करवाकर वादीयागण को अपने हक हकुको से वंचित कर दिया तत्पश्चात् दिनांक 12.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 हरीराम ने खसरा नम्बर 126 रकबा 0.91 हैक्टेयर भूमि सन् 2009 में अवैध तौर से बैचान कर दी तथा शेष आराजी को भी बैचान, दान, रहन, वसियत, तर्क आदि करने की प्रतिवादी हरीराम नें वादीयागण को ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त आराजी का बैचान करने का सौदा तय हो चका है आप कब्जा खाली करो, अन्यथा आपको जबरन सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि से बैदखल करेगें तथा भूमि आगे से आगे वैचान, रहन, वसियत, तर्क आदि करेगें। हमने मना किया व सामाजिक पंच पंचायती भी करवाई लेकिन उसके बावजुद भी प्रतिवादी हरीराम वादग्रस्त संयुक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करनें, कब्जा करनें, रेकर्ड परिवर्तन करने को उतारू होकर गैर कानूनी रूप से इन्द्रज का नाजायज फायदा उठाकर बैचान, रहन, वसियत, तर्क आदि करने हेतु रातो–रात तुला हुआ है जिससे विनायवाद पैदा हुआ तथा विनायवाद निरंतर जारी है। दावा हाजा मुखास्मात तारीख दावे से है।

5. वादीयागण की वाद में इस्तदुआ है कि वादग्रस्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 136, 137 जुमले रकबा 7.04 हैक्टेयर भूमि में वादीयागण की माता कोजीदेवी के फौत होने पर उनकी सम्पूर्ण भूमि में वादीयागण का हक हकूक व अधिकार, कब्जा होने से खातेदारी इन्द्राज नही कर वादीयागण को गैर कानूनी रूप से अपने हक हकुको से वंचित कर दिया जिससें उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें। साथ ही वादीयागण के पुश्तैनी भूमि के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखल करें एवं न ही अन्य किसी मजदूर, ऐजेंट या तीसरे व्यक्ति से करावें। न ही आगे से आगे बेचान, रहन, तर्क, हस्तांतरण आदि करें एवं न ही वादीया के हिस्से की भूमि में जबरन प्रवेश प्रतिवादीगण करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

6. वादीयागण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर जवाब दावा व प्रतिवादी संख्या 2 ईकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सख्या 3 व 4 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

7. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या हरिराम भगाराम का जायन्दा पुत्र हूँ परन्तु उसके बाद मेरी माता कोजी देवी ने मुझे अपने जीवन काल में रजिस्टर्ड गोदनामें के गोद ले लिया है जिससे में भीखाराम का गोद पुत्र हूँ तथा में वर्तमान में नारायणपुरा (सेडिया) में निवास करता हूँ जहां वादग्रस्त भूमि स्थित है जिसका में रेकर्डेड खातेदार हूँ जो कब्जा काश्त सुदा की है मेरे पहचान के तमाम दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड ग्राम सेडिया के बने हुए है। तथा कही वर्षो से मेरा कब्जा काश्त बेरोकटोक उक्त भूमि में है। प्रतिवादी [illegible] चले जाने से में वादपत्र में दर्शाई गई वंशावली में नही हूँ जिससे [illegible] गलत तरिके से बनाया गया है। वादीगण ने दुर्भिसंधी कर [illegible] 5 व नरसीराम पुत्रगण मंशाराम को वादीगण बनाया जबकि [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 अ व 5 ब के सगे भाई को ही अप्रार्थी संख्या 02 संयोजित किया जिससे स्पष्ट है कि यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ने मिलीभगत कर [illegible] पेश किया गया है। स्व. भीखाराम व कोजीदेवी के फौत होने के उपरान्त भूमि का नामान्तरकरण मुझ प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के नाम दर्ज किया गया जिसमें तमाम वादीगण की सहमति थी तथा जरिये लिखित गोदनामें के ईकरारनामें में वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा वादीगण ने मुझे तर्क कर अपने हस्ताक्षर भी ईकरारनामें पर किये थे जो तमाम गवाहान वादीगण के पति तथा तत्कालिन सरपंच के हस्ताक्षर कर उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरे नाम दर्ज करने हेतू सहमति दी जिस पर नामान्तरकरण मेरे अकेले के नाम से दर्ज हुआ है। तत्कालिन समय में हकतर्क दस्तावेज पंजीयन करवाने का चलन नही था। वादीगण का यह तथ्य कि वे अनपढ महिला है तथा कोजी देवी के गोदनामें के वक्त सोचने समझने कि शक्ति नहीं थी मनगढंत तथ्य है गोदनामें के पूर्व लिखित ईकरारनामें में सभी वादीगण ने उनके व उनके पतियों तथा गवाहान के मौजूदगी में अपने पीहर वालों की लिखित सहमति से ईकरारनामें पर अपने अंगुठा निशान/हस्ताक्षर किये है।

लिखित ईकरानामें के वक्त तमाम प्रतिवादीगण बालिंग थी तथा बंटवाडा का ईकरारनामा दिनाक 15.02.1998 में बंटवाडा भी किया गया था जिसमें वादीया मांगी को हमारी पैतृक अराजी ग्राम नारायणपुरा के खेत खसरा नम्बर 848/137 रकबा 1.29 हेक्टेयर भूमि दी गई थी तथा शेष भूमि (वादग्रस्त आराजी) मेरे बंट में रखी गई थी उसी अनुसार तमाम रेकर्ड में मेरे नाम इन्द्राजात हुए है। तब से मेरा उक्त भूमि पर लगातार बेरोकटोक स्वतंत्र कब्जा काश्त है लगातार राज्य सरकार को विगोडी में अदा करता आ रहा हूँ। मेरे बाल्य काल में ही स्वंगीय भीखाराम ने मुझे गोद ले लिया था तथा मैं बचपन से भीखाराम के साथ रहता आया हूँ उनके फौत होने पर उनकी पत्नि ने एक पारिवारिक गोदनामा कि लिखत सभी समाज के मौजिज व्यक्तियों तथा प्रतिवादीगण उनके पतियों तथा तत्कालिक सरंपच की मौजूदगी में निष्पादित किया तथा एक रेकर्डड गोदनामा भी रजिस्टर्ड कर मुझे विधिवत गोद लिया में बाल्यकाल से ही गाम सेडिया में भीखाराम व कोजीदेवी के साथ जायन्दा पुत्र की नांति रहा तथा परिवार के तमाम सामाजिक किया कलाप भी मैंने मेहनत कर किये है। तत्पश्चात कोजीदेवी के फौत होने पर प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति से ईकरारनामा दिनांक 15.02.1998 अनुसार ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 848/137 रकबा 1.29 हेक्टेयर भूमि मांगीदेवी के नाम तथा शेष आराजी मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के नाम नामान्तरण हेतु हल्का पटवारी व सरपंच के समक्ष उपस्थित होकर करवाया है। प्रतिवादीगण तमाम की शादीयां हो चुकी है तथा वे सभी अपने अपने ससुराल में निवास करती है उनका वादग्रस्त अराजी में कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है जिससे वादग्रस्त आराजी मेरे खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होने तथा उसपर स्वतंत्र बेरोकटोक लगातार कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 01 का होने वादीगण को वादग्रस्त आराजी में स्थाई निषेधाज्ञा पाने का कोई अधिकार नही है।

8. यह है कि वादीगण की इस्तदुआ मनगंढत आधारों पर होने से खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे वादग्रस्त अराजी में वादीगण का कोई कब्जा टाईटल नही होने से तथा तमाम इन्द्राज वादीगण की लिखित सहमति से होने से काबिल खारिज होने से खारिज फरमावे वादग्रस्त अराजी में वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 रेकर्डड खातेदार है। [illegible] पाने का कोई अधिकार नही होने है। वाद पत्र दुर्भिसंधी कर प्रति[illegible] की रेकर्डड खातेदारी की बेराकटोक कब्जा काश्त सुदा [illegible] होने से वाद पर मय् खर्चा खारीज फरमावे।

9. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ईकबालिया जवाब पेश किया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वादीयागण का [illegible] माफिक इस्तदुआ स्वीकार फरमाया जाकर डिकी किया जाता है तो कोई उजर, एतराज या आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner

10. वादीयागण द्वारा वाद के समर्थन मौजा नारायणपुरा के खाता संख्या 125 की जमाबंदी सवंत 2075–2079 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, मौजा सेड़िया के खाता संख्या 25 की मिसल बंदोबस्त की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, ग्राम गुन्दाऊ के नामान्तरकरण संख्या 343 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, ग्राम प्रतापनगर का नामान्तरकरण संख्या 86 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4, मौजा प्रतापनगर के खाता संख्या 39, 38 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति कमश प्रदर्श 5 व 6 है, मौजा सेड़िया के खाता संख्या 35 की जमाबंदी सवंत 2063 से 2066 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 7, मौजा गुन्दाऊ की खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2012 से 2031 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 8, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9, कोजीदेवी द्वारा किया गया दानपत्र दस्तावेज पदर्श 10, व फोटोप्रति प्रदर्श 10ए, बैचान खातेदारी खेत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 11 आदि दस्तावेज पेश किये गए। व प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

11. वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर दिनांक 03.09.2024 को एक्सप्लेन की गयी।

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हेक्टयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हेक्टयर में सम्पूर्ण भूमि में पुश्तैनी होने व वादीगण स्व.भीखाराम प्रथम श्रेणी के एकमात्र वारिश होने से उनके निर्वसतीय फौत होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

   जिम्में...............वादीयागण

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हेक्टयर खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टयर स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

   जिम्मे........... वादीयागण

3. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टयर खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टयर में खातेदारी अधिकरों की घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

   जिम्मे...........प्रतिवादीगण

12. वादीयागण की ओर वादीया संख्या 3 केलीदेवी पुत्री भीखाराम का साक्ष्य शपथ पत्र P.W. 1, धीराराम पुत्र रूगनाथाराम का साक्ष्य शपथ पत्र P.W. 2, व नारायणराम पुत्र वरीगाराम का साक्ष्य शपथ पत्र P.W. 3 आदि प्रस्तुत प्रस्तुत किये गए। जिनका प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी वकील द्वारा किया गया। व प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किये गए।

13. हमने दोनों पक्षों के विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत वादपत्र व जवाब दावा के तथ्य , प्रस्तुत दस्तावेजात तथा साक्ष्य गवाह का गहनता से अध्ययन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन कर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

Signature Not Verified

तनकी संख्या 1

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

वादीयागण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा [illegible] पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हेक्टयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हेक्टयर में सम्पूर्ण भूमि में पुश्तैनी होने व वादीगण स्व. भीखाराम प्रथम श्रेणी के एकमात्र वारिश होने से उनके निर्वसतीय फौत होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

संबंध में वादीयागण द्वारा खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2012 से 2031 प्रदर्श 8 पेश कि जिसमें पुराने खसरा संख्या 347 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 353 रकबा 51 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में भीखा वल्द धन्ना कौम सुथार साकिन सरनाऊ खातेदार के नाम दर्ज है। ग्राम गुन्दाऊ के नामान्तरकरण संख्या 343 प्रदर्श 3 के अनुसार उक्त आराजी पूराने खसरा नम्बर 347, 353 में भीखा पुत्र धन्ना फौत होने पर भीखा पुत्र धन्ना के स्थान पर कोजी बेवा भीखा सुथार सा.देह का नाम दर्ज किया गया। जिसमें सरपंच, ग्राम पंचायत गुन्दाऊ द्वारा दिनांक 04.08.1997 ''भीखा फौत जायन्दे लड़के नही है औरत कोजी मौजूद है, कोजी के नाम मंजूरी दी जाती है'' का नोट लगाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। उक्त आराजी का मिलान क्षेत्रफज प्रदर्श 9 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 347 से खसरा संख्या 126 रकबा 0.91 व 353 से खसरा संख्या 136, 137 रकबा क्रमश 0.04, 8.29 हैक्टेयर नवसृजित किये गए। द्वितीय मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श 2 में उक्त आराजी खसरा संख्या 126, 136, 137 जूमले रकबा 9.24 हैक्टेयर कोजी बेवा भीखा कौम सुथार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। तत्पश्चात दानपत्र प्रदर्श 10 के अनुसार कोजी बेवा भीखा द्वारा श्रीमती मांगीदेवी पुत्री भीखाजी पत्नी रूगनाथा जी जाति सुथार को खसरा संख्या 137 में से रकबा 1.29 हैक्टेंयर आराजी का दान किया गया। जमाबंदी संवत 2063 से 2066 प्रदर्श 7 के अनुसार उक्त आराजी खसरा संख्या 126, 136, 137 रकबा क्रमश 0.91, 0.04, 7.00 हैक्टेयर आराजी कोजी बेवा भीखा कौम सुथार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है, जिसमें ''नामा. संख्या 165 दिनांक 05.08.2006 के द्वारा कोजी फौत एवं गोदनाम होने से कोजी के बजाय हरीराम गोद भीखा कौम सुथार सा. देह खातेदार इन्द्राज किया गया'' का नोट लगा हुआ है। तथा जमाबंदी सवंत 2075 से 2079 प्रदर्श 1 में उक्त आराजी के खसरा संख्या 136, 137 रकबा क्रमश 0.04, 7.0 हैक्टेयर जूमले रकबा 7.04 हैक्टेयर हरीराम दत्तक पुत्र भीखा हिस्सा पूर्ण जाति सुथार देह खातेदार के नाम दर्ज है। व राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सांचौर का नोट लगा हुआ है। उक्तानुसार वादीयागण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गए।

वादीयागण द्वारा वाद पत्र में उक्त पूश्तैनी आराजी में प्रत्येक वादीया का 1/5 – 1/5 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त उत्तराधिकारी के हकदार के संबंध में वादपत्र में वंशावली अंकित की है। जिसमें वादीयागण के पिता भीखाराम फौत होने से इनके वारीसान में कोजीदेवी (पत्नी) फौत व मांगीदेवी, नेनूदेवी, कैलीदेवी, पांचुदेवी चार पुत्रीया जीवित व देवूदेवी पुत्री फौत होने से इनके वारीसान बाबुलाल, चुतराराम नरसीराम बताए गए है। उक्त वंशावली के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब में द्वारा स्वयं को स्व. भीखाराम का गोदपुत्र दर्शाते हुए वादीयागण स्व. भीखाजी की पुत्रीयों होने के संबंध में कोई आपत्ति नही की गई। व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादपत्र के तथ्यों को जवाब में स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 स्व. भीखाराम का गोदपुत्र होना व वादीयागण स्व. भीखा पुत्र धन्ना के वारीसान नही होना साबित हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि भीखा पुत्र धन्ना फौत होने पर उनके कोजीदेवी (पत्नी) फौत व मांगीदेवी, नेनूदेवी, कैलीदेवी, पांचुदेवी चार पुत्रीया जीवित व देवूदेवी पुत्री फौत होने से इनके वारीसान बाबुलाल, चुतराराम नरसीराम उत्तराधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

वादीयागण द्वारा साक्ष्य में वादीया संख्या 3 केलीदेवी पुत्री भीखाराम का साक्ष्य शपथ पत्र P.W. 1, धीराराम पुत्र रूगनाथाराम का साक्ष्य शपथ पत्र P.W. 2, व नारायणराम पुत्र

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हरीगाराम का साक्ष्य शपथ पत्र P.W. 3 आदि प्रस्तुत प्रस्तुत किये गए। जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दोहराया गया व प्रतिपरीक्षण में भी गवाह द्वारा हरीराम को स्व. भीखा पुत्र धन्ना व कोजी पत्नि भीखा द्वारा कभी गोद नही लिया जाना व भीखा पुत्र धन्ना की केवल पांच पुत्रीया होना बताया गया।

उक्तानुसार वादीयागण स्व. भीखा पुत्र धन्ना व स्व. कोजी पत्नी भीखा की प्रथम श्रेणी की वारिश होना पाया जाता है। तथा वादीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मौजा नारायणपुरा के खसरा संख्या 136 रकबा 0.04 व 137 रकबा 7.00 हैक्टेयर आराजी वादीयागण की पूश्तैनी आराजी होना साबित होता है। उक्त आराजी में भीखा के फौतेदगी के पश्चात इनकी पत्नी कोजीदेवी बेवा भीखा के नाम दर्ज हुई। जबकि उक्त आराजी में भीखा पुत्र धन्ना के उत्तराधिकारियों में सभी हिस्से की हकदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिए। परन्तु वादीयागण का नाम दर्ज नही किया गया। जो विधिसगंत नही है। वादीयागण ने अपनी पुश्तैनी आराजी मौजा नारायणपुरा के खसरा संख्या 136 रकबा 0.04 व 137 रकबा 7.00 हैक्टेयर में नाम दर्ज नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीयागण प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीणी होने से खातेदारी हकों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

आया वादीगण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हेक्टयर खसरा नम्बर 137 रकवा 7.00 हैक्टयर स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी होने के संबंध में तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 वादीयागण के पक्ष में सिद्व होने से वादीयागण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अतः उक्त तनकी भी वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

आया वादीगण वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकरों की घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 अभिलेखीय दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है। व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में उल्लेख किये गये, कथनों को साबित कराने में असफल रहे है। व तनकी संख्या 1 वादीयागण के पक्ष में साबित होने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

–: आदेश :–

14. अतः उपरोक्त तनकीयात के विवेचन एवं निर्णय एवं वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार [illegible] गुन्दाऊ के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम[illegible]बा 7.00 हैक्टेयर जूमले रकबा 7.04 हैक्टेयर आराजी में [illegible] के फौत होने पर इनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिक[illegible]त्येक वादीया के 1/5 हिस्से की खातेदारी [illegible]। चुकि वादीया संख्या 1 मांगीदेवी को दान पत्र दस्तावेज प्रदर्श 10 के अनुस[illegible]नकी माता कोजीदेवी द्वारा खसरा संख्या 137 रकबा 8.29 हैक्टेयर में से रकबा 1.29 हैक्टेयर दान कर देने से खसरा संख्या 136 व 137 की आराजी रकबा 7.04 हैक्टेयर में से इनके हिस्से में 1.29

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर आराजी कम की जाकर इनको रकबा 0.376 हैक्टेयर आराजी दी जावें। तत्तनुसार शेष आराजी रकबा 6.664 हैक्टेयर में से में वादीया संख्या 2 से 5 को समान रूप से खातेदारी दी जावें। एवं राजस्व रेकर्ड में तदनुसार अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीयागण के कब्जो काश्त के संबंध में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व न ही किसी से कराए। निर्णय की प्रति तहसीलदार सांचौर को विधिवत पालनार्थ भेजी जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)
सांचौर जिला सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से सरे इजलास सुनाया,

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner